अनुदान संख्या 69 – पंचायती राज मंत्रालय
GRANT No. 69–MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**			
स्वीकृत-	Voted–	4780,71,00	3776,82,24	–1003,88,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1003,58,60

टीका और टिप्पणियां / ***Notes and comments***

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2515" अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Major Head "2515" Other Rural Development Programme				
मू.	O.	8800.00	9583.31	9552.99	–30.32
पु.	R.	783.31			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	1100.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–1100.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	467000.00	366999.35	366999.35	. .
पु.	R.	–100000.65			

(I) 1100.00 लाख रु. का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 840.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - पंचायती राज'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) ''राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना'' - 600.00 लाख रु.; और

(खा) ''ई-पंचायत संबंधी मिशन परियोजना'' - 240.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2515'' - ''पंचायती राज'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान'' - 121.19 लाख रु. की बचत (360.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों और गैर-सरकारी संगठनों से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''कार्रवाई अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन'' - 109.40 लाख रु. की बचत (270.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य ग्रामीण विकास संस्थान और गैर-सरकारी संगठनों से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - पंचायती राज - पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान'' के अंतर्गत 100000.65 लाख रु. की बचत (467000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.1100.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these Rs.840.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" – "Other Rural Development Programmes – Panchayati Raj" – under the following heads:-

(A) "Rastriya Gram Swaraj Yojana" – Rs.600.00 lakhs; and

(B) "Mission Project on e-Panchayat" – Rs.240.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North-Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2515" – "Panchayati Raj" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Panchayat Mahila Evam Yuva Shakti Abhiyan" – saving of Rs.121.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.360.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals from the States and Non-Governmental Organisations.

(B) "Action Research and Research Studies" – saving of Rs.109.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.270.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals from State Institute of Rural Development and Non-Governmental Organisations.

(III) Under Major Head "3601" – "Grants for State Plan Schemes – Other Rural Development Programmes – Panchayati Raj - Grants for Backward Regions" – saving of Rs.100000.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.467000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to non-receipt of viable proposals from the State Governments.

2.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''2515'' - ''पंचायती राज'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना'' - 522.47 लाख रु. का अधिक व्यय (3900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) ''जनसंचार-माध्यम और प्रचार'' - 234.66 लाख रु. का अधिक व्यय (620.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जनसंचार-माध्यम अभियान की प्रतिबद्ध देयताएं चुकाए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(गा) ''ई-पंचायत संबंधी मिशन परियोजना'' - 146.77 लाख रु. का अधिक व्यय (2060.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम की संशोधित लागत स्थायी वित्त समिति के माध्यम से पूरी किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 100.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत था।

2.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head "2515" – "Panchayati Raj" – under the following heads:-

(A) "Rashtriya Gram Swaraj Yojana" – excess of Rs.522.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3900.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) "Media and Publicity" – excess of Rs.234.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.620.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear committed liabilities of Media Campaign and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) "Mission Project on e-Panchayats" – excess of Rs.146.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2060.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to meet revision of cost of scheme through Standing Finance Committee.

(II) Under one head excess of Rs.100.00 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.